

- बिन्दु क्र. 01 – संगठन कार्य एवं कर्तव्यों का ब्यौरा— जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण के विभाग प्रमुख होते हैं। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, विभाग के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी योजना, उषा किरण योजना , समेकित बाल संरक्षण योजना, स्वागतम लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, लाडो अभियान आदि योजनाओं के सफल संचालन हेतु जबाबदेह होते हैं।
- बिन्दु क्र. 02 – अधिकारियों , कर्मचारियों के कर्तव्य एवं अधिकार— जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, संचालनालय महिला सशक्तिकरण अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं के जिले में सफल क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होते हैं। समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत बाल संरक्षण अधिकारी, विधि सह परीवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, परामर्शदाता, डाटा एनालिस्ट, सहायक सह आंकडा प्रविष्टि प्रचालक, आउटरीच कार्यकर्ता कार्यालय में पदस्थ है जो कि समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं। संचालनालय महिला सशक्तिकरण अंतर्गत शासकीय संप्रेक्षण गृह संचालित है। जिसमें पदस्थ अधीक्षक संप्रेक्षण गृह में निवासरत बालकों, एवं उनसे संबंधित समस्त कार्यवाही हेतु जबाबदेह होते हैं।
- बिन्दु क्र. 03— निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण तथा लेखा जोखा शामिल हैं:— जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी, शासन निर्देशों के अनुरूप निर्णय लेते हैं एवं पृथक – पृथक नियम निर्देशानुसार लेखा जोखा कार्य करते हैं।
- बिन्दु क्र. 04— कर्तव्यों के निर्वहन के लिये तय किये गये मापदंड— शासन द्वारा तय किये गये कर्तव्यों का निर्वहन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।
- बिन्दु क्र. 05— कर्मचारियों के लिये उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये नियम, विनियम, निर्देश मनुअल तथा अभिलेख जो संधारित किये गये हैं। कर्मचारियों के लिये उनके कर्तव्यों निर्वहन के लिये नियम विनियम:— अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पालन किये जाते हैं।
- बिन्दु क्र. 06— नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजों का क्रमबद्ध प्रपत्र— जिला स्तर के दस्तावेज जिला कार्यालय में, एवं परियोजना स्तर के दस्तावेज परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। अलग से कोई अन्य व्यवस्था नहीं है।
- बिन्दु क्र. 07 इसके प्रबन्धन तथा नीति निर्धारण के बारे में जनसाधारण से विचार विमर्श या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार के लिये की गई व्यवस्था का

विवरण:- जन साधारण से प्राप्त आवेदनों पर विचार कर निराकरण किया जाता है नस्ति एवं पंजी का संधारण किया जाता है ।

बिन्दु क्र. 08

दो या दो से अधिक सदस्यो वाले बोर्ड काउंसिल कमेटी तथा अन्य निकाय जिनका गठन जिले मे किया गया है एवं इनके द्वारा निष्पादित की जाने वाली कार्यवाही :-

1.बाल कल्याण समिति- जिले में बालकों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन शासन स्तर से किया गया है। इस समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता बाले बालकों के हित मे निर्णय लिये जाते है।

2.किशोर न्याय बोर्ड- 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन शासन स्तर से किया गया है। बोर्ड द्वारा जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के हित में निर्णय किये जाते हैं।

बिन्दु क्र. 09

इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के दूरभाष की सूची :-

बाल कल्याण समिति-

श्रीमती संध्या कोठारी	अध्यक्ष	मो.नं. 9425468762
श्रीमती दिव्या नेमा	सदस्य	मो.नं. 9424932991
श्रीमती प्रवीणा गोस्वामी	सदस्य	मो.नं. 9407806890
श्री सुभाष गुप्ता	सदस्य	मो.नं. 9425857016

किशोर न्याय बोर्ड-

प्रथम श्रेणी न्यायधीश	अध्यक्ष	मो.नं.
श्रीमती मीना जैन	सदस्य	मो.नं.9424720925
श्री संजय साहू	सदस्य	मो.नं.9425042675

बिन्दु क्र. 10

इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक मानदेय जिसमें नियमों में प्रावधानिक मुआवजा भी शामिल है :- बाल कल्याण समिति के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को 500.00 अंकन पाँच सौ रूपया प्रति बैठक के हिसाब से मानदेय का भुगतान किया जाता है।

- बिन्दु क्र. 11 इसकी प्रत्येक एजेंसी को दिया जाने वाला बजट जिसमें प्लान प्रस्तावित व्यय तथा किये गये भुगतान का प्रतिवेदन शामिल है :- बाल कल्याण समिति की कोई एजेंसी नहीं है।
- बिन्दु क्र. 12 अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयनों की प्रणाली जिसमें प्रावधानित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों में संभावित हितग्राहियों का विवरण:- जिले में विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को महिला एवं बाल विकास के संबंध में कार्य करने वाली संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। जो कि बालकों की देखरेख, संरक्षण, व अनुरक्षण से संबंधित कार्य करती है।
- बिन्दु क्र. 13 रियायत परमिट या अधिकार पत्र जो प्रदान किये गये हैं उसका विवरण :- अशासकीय संस्थाएँ केवल बालकों के हितार्थ संचालित है। इन्हे किसी प्रकार के अधिकार शासन या विभाग द्वारा प्रदाय नहीं किये गये हैं।
- बिन्दु क्र. 14 इसके पास उपलब्ध जानकारियां का विवरण जिसे इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में बनाया गया है :- कार्यवाही प्रचलन मे है।
- बिन्दु क्र. 15 जनसाधारण को जानकारी प्राप्त करने के जो सुविधाये उपलब्ध है उनका विवरण जिसमें लाइब्रेरी रीडिंग रुम के कार्य के घंटे यदि वे कार्यरत हो तो:- जनसाधारण को जानकारी प्राप्त करने को लाइब्रेरी रीडिंग उपलब्ध नहीं है।
- बिन्दु क्र. 16 जनसंपर्क अधिकारियों के नाम पदनाम तथा अन्य विवरण :-
1. अरुण प्रताप सिंह निरंजन (जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी)
- बिन्दु क्र. 17 अन्य जानकारी जो निर्धारित की जावेगी :- अन्य जानकारियां यदि है तो समय समय पर अध्यतन की जावेगी।